भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3873
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा मजदूरी में संशोधन

3873. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मजदूरी दरों को महंगाई के अनुसार वर्ष 2013 से लगातार संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनियमित संशोधन के क्या कारण हैं और कामगारों की क्रय शक्ति पर इसकी क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि मनरेगा की मजदूरी में वास्तविक रूप से गिरावट आई है जिससे इस योजना पर निर्भर ग्रामीण परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि मनरेगा मजदूरी दरें अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के अनुसार हों और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले; और

(ङ) क्या सरकार असमानताओं को दूर करने और न्यूनतम मजदूरी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सभी राज्यों में मजदूरी दरों की व्यापक समीक्षा करने पर विचार कर रही है अथवा मजदूरी दरों के संदर्भ के लिए बेहतर सूचकांक स्थापित करने पर कार्य कर रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (2) में प्रावधान है कि जब तक किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर तय नहीं की जाती है, तब तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र पर लागू मजदूरी दर माना जाएगा। तदनुसार, अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधान के अनुसार, योजना के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2010-11 तक, महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी दर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2011-12 से, भारत सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके मजदूरी दरों का निर्धारण करना शुरू कर दिया।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से राहत देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा अधिसूचित यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होता है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गणना की गई मजदूरी दर पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम आ रही है तो पिछले वर्ष की मजदूरी दर को बनाए रखकर संरक्षित किया जा रहा है। तदनुसार, महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों की मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रति वर्ष संशोधित की जा रही है। संशोधित अधिसूचित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल की पहली तारीख से लागू होती है।

मजदूरी दर गणना की वर्तमान पद्धति का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मजदूरी दर अधिसूचित की है, जिसमे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 5% (औसत) और पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 29% (औसत) वृद्धि हुई है। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।